न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०), कानपुर–देहात।

UPRN010031692026

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–269/2026

सत्यवीर सिंह बनाम शैलेन्द्र सिंह सेंगर आदि

दिनांक–07.07.2026

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। पूर्व में प्रार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

प्रार्थी/आवेदक सत्यवीर सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० विपक्षीगण शैलेन्द्र सिंह सेंगर आदि के विरूद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी दिनांक 28.04.2026 को समय लगभग सायं 07.00 बजे मजदूरी कर अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में पहले से ही घात लगाये बैठे शैलेन्द्र सिंह सेंगर व रामकुमार जो कि पुरानी रंजिश मानते थे सभी ने एकराय होकर प्रार्थी की मोटरसाइकिल समेत धक्का मारकर जमीन में गिरा दिया तथा एकराय होकर प्रार्थी को मारने पीटने लगे। प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर उक्त लोगों द्वारा कहा गया कि आज उसे जान से मार देंगे। प्रार्थी द्वारा शोर मचाने पर राहगीरों ने उक्त लोगों को ललकारा तो शैलेन्द्र सिंह सेंगर द्वारा प्रार्थी की अंगूठी हाथ से व जेब में पडे लगभग 5000/– रूपये रामकुमार ने लूट लिये और प्रार्थी को तीनों व्यक्तियो द्वारा मारपीट कर अधमरा कर दिया और अपनी तरफ राहगीरों को आते देख उक्त लोग प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हुये मौके से चले गये। प्रार्थी किसी तरह राहगीरों की मदद से उठा और शरीर पर लगी चोटों से तड़फते हुये थाना रूरा गया और लिखित प्रार्थना पत्र दिया किन्तु थाना हाजा की पुलिस ने न तो प्रार्थी का इलाज/मेडिकल कराया और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट ही पंजीकृत की। पुलिस ने कहा कि पहले मेडिकल कराओ तब एफ०आई०आर० पंजीकृत करेंगे। जिला अस्पताल अकबरपुर, कानपुर देहात में दूसरे दिन मेडिकल परीक्षण कराकर थाने गया किन्तु कोई कार्यवाही थाना हाजा की पुलिस द्वारा कोई नहीं की गयी। प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में तीन किता प्रार्थना पत्र मय पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात, तीन किता मूल डाक रसीद, इंजरी मेडिकल लीगल रिपोर्ट व आधार कार्ड की प्रति दाखिल किया गया है।

संबंधित थाने से प्राप्त आख्यानुसार आवेदक के उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में जाँच की गयी तो आवेदक के पिता रघुवीर सिंह द्वारा बताया गया कि उसके पुत्र सत्यवीर के साथ विपक्षी शैलेन्द्र सिंह आदि लोगों द्वारा मारपीट व रुपया छीनने व अंगूठी छीनकर भाग गये थे। विपक्षी शैलेन्द्र सिंह द्वारा बताया गया कि उसने अपनी पुत्री अंकिता सिंह की शादी दिनांक 17.04.2022 को सत्यवीर सिंह पुत्र रघुवीर के साथ की थी तथा कुछ दिन बीत जाने के बाद उसके ससुराल वालों ने अधिक दहेज लाने तथा वैगनार व रुपये की मांग करने लगे तथा दिनांक 02.02.2023 को उसकी पुत्री के साथ काफी मारपीट कर उसको गला दबाकर घर से निकाल दिया तब उसकी पुत्री ने उसे दूरभाष से अवगत कराया तब वह कानपुर नगर से अकेले हसनापुर आया तो देखा कि उसकी पुत्री घर के बाहर बैठकर रो रही थी तो उसने पूछा तो सारी बातें उसे बतायी। तब उसने उसके ससुराल वालों सत्यवीर व रघुवीर से मिले और उसने कहा कि क्यों मारपीट कर रहे हो तो उन लोगों ने उसे गाली गलौज करने लगे व उसे उठवाने की धमकी व फर्जी मुकदमा लिखवाकर जेल भेजवाने की धमकी दिया। तब वह अपनी

पुत्री को अपने साथ लेकर कानपुर नगर चले गये। तब से उसकी पुत्री उसके पास है। उसके बाद वह महिला थाना कानपुर नगर जाकर अपनी पुत्री से उसके ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। विवेचक द्वारा सरमन के घर जाकर जानकारी की तो पाया गया कि सरमन द्वारा बताया गया कि रामकुमार उसका सगा भाई था। उसकी मृत्यु दिनांक 30.08.2025 को हो चुकी है और मृत्यु प्रमाण दिया गया जो कि संलग्न आख्या है। आवेदक सत्यवीर उपरोक्त के प्रार्थना पत्र के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/आवेदक द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि दिनांक 28.04.2026 को समय लगभग सायं 07.00 बजे उसके साथ विपक्षीगण शैलेन्द्र सिंह सेंगर, रामकुमार व सरमन द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट की गयी तथा शैलेन्द्र सिंह सेंगर द्वारा उसके हाथ की अंगूठी व रामकुमार ने जेब में पडे लगभग 5000/– रूपये लूट लिये गये। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में संबंधित थाने की आख्यानुसार विपक्षी रामकुमार पुत्र जगत सिंह की मृत्यु दिनांक 30.08.2025 को हो चुकी है। जबकि प्रार्थी/आवेदक द्वारा उसके साथ घटित घटना दिनांक 28.04.2026 की कही गयी, जिसमें उसके द्वारा कहा गया है कि रामकुमार ने उसकी जेब से मु०–5000/–रुपये निकाल लिये। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि प्रार्थी/आवेदक द्वारा एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध घटना कारित करना दिखाया गया है जिसकी मृत्यु घटना से काफी पूर्व हो चुकी है। जो सम्पूर्ण घटनाक्रम पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/आवेदक द्वारा अपने ही ससुर/रिश्तेदार शैलेन्द्र सिंह सेंगर के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु उक्त का वर्णन अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। जो यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में आवेदन लेकर नहीं आया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० को निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पारुल श्रीवास्तव)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कानपुर–देहात।

दिनांक–07.07.2026

Digitally signed by Parul Srivastav
Date: 2026.07.07 16:27:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court